

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक 1701 दिनांक 19.04.2007 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 विनय कुमार शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, बेगूसराय जून 2003 से लगातार अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. डा0 विनय कुमार शर्मा के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0 38(9) दिनांक 12.01.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संशोधित विभागीय संकल्प सं0 1026(9) दिनांक 04.10.2016 के द्वारा पूरक आरोप पत्र जोड़कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। आरोपित पदाधिकारी निबंधित डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित सूचना के बावजूद विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में इस आधार पर आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया कि डा0 शर्मा विभागीय कार्यवाही के क्रम में कभी भी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना पक्ष रखा।

4. डा0 विनय कुमार शर्मा से निबंधित डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारणपृच्छा की गई, किंतु निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी डा0 शर्मा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत यह देखते हुए कि डा0 विनय कुमार शर्मा के विरुद्ध पाँच वर्षों से अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है, उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय पर विभागीय पत्रांक 184(9) दिनांक 05.03.18 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से शास्ति पर मन्तव्य की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1019 दिनांक 12.7.18 द्वारा विभागीय शास्ति प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतः बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 विनय कुमार शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र, मोहनपुर, बेगूसराय को पाँच वर्षों से अधिक लगातार अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:—संकल्प की प्रति डा0 विनय कुमार शर्मा एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: 188(9)

/स्वा0, पटना 30/1/2019 दिनांक:

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी बेगूसराय/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन बेगूसराय/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डा0 विनय कुमार शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव (स्वा0) के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा— 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव